सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/SER-1029/MHUA/5/2023-SSW-RU-IV

Date : 17/02/2026

To,

The Chairman & Managing Director,
Hindustan Prefeb Limited
Jangpura, Near Rajdoot Hotel
New Delhi, Delhi 110014
Tel : 011-43149822
E-mail ID : hplcmd@gmail.com

Sub: Representation dated 12.05.2023 from Mr. Dhanna Oraon (Sr. Token Attendant), Hindustan Prefab Limited, Jangpura, New Delhi regarding discrimination against a Scheduled Tribe employee by Hindustan Prefab Limited

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 22.01.2026 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

opy to:-

ri Dhanna Oraon,
enior Token Attendant
ndustan Prefab Limited,
ngpura, New Delhi-110014
ail – dhanna.hpl@gmail.com
ne – 9910102812

o Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F. No. NCST/SER-1029/MHUA/5/2023-SSW

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ भेद भाव करने के संबंध में :- श्री धन्ना उराँव (Sr. Token Attendant), हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली, के अभ्यावेदन के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में को लोक नायक भवन , खान मार्केट, नई दिल्ली मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की तिथि: 22.01.2026

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार।

श्री धन्ना उराँव, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 12.05.2023 (अभ्यावेदन से संबन्धित दस्तावेज़ संलग्न नहीं है) में बताया है कि हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके साथ भेद भाव किया जा रहा है । उन्होने अपने अभ्यावेदन में बताया है कि उन्हे हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड द्वारा बिना कोई कारण बताए गलत तरीके से वरिष्ठ लिपिक पद से वरिष्ठ टोकन अटेन्डेंट पद दिया गया (Down gradation of post) साथ ही उन्हे सेवा हितलाभ से भी वंचित कर दिया गया है। श्री धन्ना उराँव, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली ने अपना अभ्यावेदन 12.05.2023 पुन: प्रेषित किया, जिसमे उन्होने अपने अभ्यावेदन से संबन्धित दस्तावेज़ संलग्न किए है जिससे प्रतीत होता है कि, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड प्रशासन तथा आवेदक के मध्य Communication Gap है जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान है |

3. इस मामले में, **आयोग में 12.06.2024, 25.09.2024 एवं 30.06.2025** को तीन बैठकें/सुनवाई आयोजित की जा चुकी हैं । माननीय सदस्या (AL) की अध्यक्षता में तिथि 30.06.2025 को आयोजित बैठक/सुनवाई में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

i. याचिकाकर्ता श्री धन्ना उराँव को वर्ष 1995 में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत टोकन अटेंडेंट पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2013 में उक्त पद का पुनः नामकरण कर उसे कनिष्ठ लिपिक (Junior Clerk) किया गया। हालांकि, संबंधित प्राधिकरण के अनुसार, इस नाम परिवर्तन के समय किसी भी कार्मिक को वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए गए। तत्पश्चात, चूँकि कैडर में कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत पद पूर्व से विद्यमान थे, अतः भर्ती नियमों (Recruitment Rules – RRs) के अनुसार, इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वरिष्ठ लिपिक पदों पर पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ प्राप्त हो गए। यह प्रशासनिक चूक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD, HPL) द्वारा स्वीकार की गई है।

ii. विदित हो कि वर्ष 2004 में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, किंतु वर्ष 2013 में कंपनी द्वारा टोकन अटेंडेंट पदधारकों को कनिष्ठ लिपिक के रूप में पुनः नामित कर कार्यबल में समायोजित किया गया। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता एंव अन्य को बिना स्पष्ट कारण के वरिष्ठ लिपिक के पद से पदावनति (Demotion) करते हुए पुनः टोकन अटेंडेंट के पद पर ला दिया गया। तत्पश्चात, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) प्रदान कर सेवा से पृथक कर दिया गया। आयोग में प्रकरण लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को सेवा में अस्थायी रूप से पुनः लिया गया, किंतु बाद में उन्हें पुनः

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

सेवा से हटा दिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई — पदावनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पुनः नियुक्ति और पुनः सेवा से पृथक्करण — न केवल प्रशासनिक दृष्टि से जटिल प्रतीत होती है, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न खड़े करती है। अतः आयोग अपेक्षा करता है कि संबंधित प्राधिकारी इस समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में एक स्पष्ट, क्रमवार एवं लिखित स्पष्टीकरण आयोग को उपलब्ध कराएं।

iii. वह नीति निर्णय अथवा प्रशासनिक आदेश की प्रमाणित प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता की पदावनति की गई थी।
iv. यदि याचिकाकर्ता को पद से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई विभागीय जांच / अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो, तो उसकी रिपोर्ट अथवा कार्यवाही विवरण की प्रति आयोग को प्रस्तुत की जाए।

4. सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा दिनांक 11.09.2025 को आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसकी प्रति सूचनार्थ आवेदक को भेजी गई, जिस पर प्रार्थी असहमत हुए। अतः उन्होंने आयोग को रिज्वाइंडर भेजा और मामले में सुनवाई करने का अनुरोध किया | तदुपरांत, आयोग द्वारा दिनांक 13.01.2026 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड को सिटींग नोटिस जारी किया गया |

5. **प्रकरण में 22.01.2026 के सुनवाई** के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड एंव शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा विरस्तृत चर्चा हुई।

6. सुनवाई के दौरान सम्बंधित अधिकारीयों ने कथित मामले का कालानुक्रमिक विवरण दिया | याचिकाकर्ता श्री धन्ना उरांव की नियुक्ति 07.12.1995 को टोकन अटेंडेंट-II के रूप में हुई थी और समय-समय पर उनके आईडीए वेतनमान में संशोधन किया गया; वे प्रारंभ में कारखाना-आधारित कर्मचारी थे। वर्ष 2004 से एचपीएल का कारखाना संचालन पूर्णतः बंद हो जाने के बावजूद मानवीय आधार पर कर्मचारियों को वेतन पर बनाए रखा गया तथा प्रशासनिक कार्यों की आवश्यकता के कारण श्री धन्ना उरांव सहित कुछ कर्मचारियों को बिना वेतनमान बदले कनिष्ठ लिपिक के रूप में पुनः पदनामित किया गया। बाद में वर्ष 2017 में उन्हें वरिष्ठ लिपिक के पद पर पुनः पदनामित किया गया, किंतु समीक्षा के उपरांत भर्ती नियमों के अनुसार पात्र न पाए जाने पर 01.03.2023 के आदेश से उन्हें उनके मूल पद वरिष्ठ टोकन अटेंडेंट पर उसी वेतनमान एवं ग्रेड के साथ प्रत्यावर्तित कर दिया गया, जिसे प्रशासनिक पुनःसंरेखण बताया गया। कारखाना बंद होने, गंभीर वित्तीय संकट एवं सेवा नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, श्री धन्ना उरांव सहित 28 कर्मचारियों को 02.01.2024 से समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया तथा उन्हें ग्रेच्युटी, पीएफ, अवकाश नकदीकरण एवं नोटिस वेतन सहित सभी वैधानिक सेवांत लाभ प्रदान कर दिए गए। सम्बंधित सेवानृति के विरुद्ध CAT में भी याचिका दायर की गई है |

7. मामले में 22.01.2026 को सुनवाई करते हुए एवं दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार, **आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है**:

i. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड को आयोग द्वारा 30.06.2025 को दी गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जाए|
ii. नियमों के अंतर्गत स्वीकार्यता के अधीन, आयोग यह अनुशंसा करता है कि यदि समीक्षा के उपरांत श्री धन्ना उरांव को पात्र पाया जाए, तो उन्हें अतिरिक्त सेवानिवृत्तोत्तर अथवा सेवा-उपरांत लाभ प्रदान किए जाएँ, ताकि प्रशासनिक असंगतियों के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की हानि न हो।
iii. चूँकि याचिकाकर्ता श्री धन्ना उराँव को वर्ष 1995 में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत सेवा में लिए गए थे, अतः उनके समयपूर्व सेवानिवृत्ती ख़ारिज करने हेतु एवं उनकी पुनर्नियुक्ति पर पुनः विचार किया जाए।

आशा लकड़ा
10/02/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1029/MHUA/5/2023-SSW-RU-IV

Sitting to be held on **22.01.2026 at 03.40 P.M** - Representation dated 12.05.2023 from Mr. Dhanna Oraon (Sr. Token Attendant), Hindustan Prefab Limited, Jangpura, New Delhi regarding discrimination against a Scheduled Tribe employee by Hindustan Prefab Limited

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Mrs. Sonal Raj Sr. Investigator		
5.	Shri Rahul Investigator		
6.	Ms. Riya Investigator		
7.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
8.			
9.			
II	**Officers from O/o Chairman & Managing Director, Hindustan Prefeb Limited, New Delhi**		
1.	Gurjeet Singh Dhillon, Jt. Secy, (CMD/HPL Add. charge)	9456550606	[signature]
2.	P. K. Sahoo Consultant (HR), HPL	995843558	[signature]
3.	DESH RAJ Asstt. Admin officer HPL	9910903184	[signature]
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Dhanna Oraon	9910102812	[signature]
2.			